UPMP010011102025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं–1, मैनपुरी

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–405/2025,

प्रभू दयाल पुत्र श्री जगदीश निवासी ग्राम विशनुगढ थाना विशुनगढ, जिला कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, ...विपक्षी/वादी,

03–03–2025 **आदेश**

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त प्रभूदयाल की ओर से सत्र परीक्षण संख्या–368/2014, राज्य बनाम प्रभूदयाल ,अपराध संख्या–629/2014 धारा–379,411,413,414 भा.द.स. एवं धारा–41/102 द.प्र.स. थाना कोतवाली,जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है । प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रा्र्थी के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी जनपद कन्नोज का निवासी है तथा मजदूरी करने वाला व्यक्ति है तथा अक्सर मजदूरी करने बाहर चला जाता है। प्रार्थी अपने पूर्व अधिकवक्ता से पैरवी करने कह कर मजदूर के लिए बाहर चला गया । प्रार्थी वापस आने पर मुकदमा की जानकारी करने आया तो पूर्व अधिवक्ता ने बताया कि वारन्ट हो गये। प्रार्थी ने वारन्ट रिर्काल किये जाने प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके कारण प्रार्थी दिनांक 24–10–2024 से जिला कारागार मैनपुरी में निरूद्व है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी। प्रार्थी भविष्य में कोई गलती नहीं करेगा और सदैव हाजिर आता रहेगा। अभियुक्त जमानत देने का तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं अभियोजन के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा वाद कार्यवही में हाजिर न आने के कारण गैर जमानतीय वारन्ट निर्गत किये गये । अभियुक्त का वारन्ट रिर्काल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर दिनांक 24–10–2025 से जिला कारागार में निरूद्व है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर विचार किये बिना न्यायालय के मत में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये

जाने का आधार पर्याप्त है।

तदानुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा 2,00,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो नवीन प्रतिभू दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाये। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय का एक बंधपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई गवाह हाजिर होगा, बिना यथोचित कारण के स्थगन नहीं लेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा व आरोप विरचन एवं बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के समय वह व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांकः–03–03–2025

(मीता सिंह)
प्र.अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, मैनपुरी।

मोहम्मद इस्लाम
स्टेनों

Digitally signed by Smt. Mita Kumari
Date: 2025.03.03 15:43:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court.Mainpuri